

पत्रांक-

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषय:- मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत मधुबनी, पटना के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण एवं कार्यालय व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए ₹ 213.15 लाख (दो करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मधुबनी, पटना के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी, कर्मशाला निर्माण एवं कार्यालय व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः ₹ 183.15 (एक करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार) एवं अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना हेतु ₹ 30.00 (तीस लाख) अर्थात कुल राशि ₹ 213.15 लाख (दो करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार) (संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार) व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान करने की कृपा की है।

2. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, मोंग संख्या-23, उप शीर्ष-0103-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य, 52 01 मशीनें एवं उपस्कर, 33 01 सब्सिडी एवं 13 01 कार्यालय व्यय मद से उपबंधित राशि में से क्रमशः ₹ 79.20 (उन्नासी लाख बीस हजार), ₹ 60.00 (साठ लाख), ₹ 30.00 (तीस लाख) एवं ₹ 13.85 (तेरह लाख पचासी हजार) यानि कुल ₹ 183.15 (एक करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार) विकलित होगा। जिसके लिए आय-व्ययक वर्ष 2016-17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

राशि मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, मोंग संख्या-23, उप शीर्ष-0104-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851007890104, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष 52 01 मशीनें एवं उपस्कर, मद से उपबंधित राशि में से ₹ 30.00 (तीस लाख) विकलित होगा।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561 वि०(2) दि०-17.04.98 के कंडिका-02 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

4. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-1 के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं० 2005 दिनांक-20.04.12 तथा इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक-1491 दिनांक-10.09.13 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहित प्रपत्र में BTC-42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगा।

7. यह राज्यादेश संचिक संख्या:-ह0क0(10)विविध-20/2016 के पृष्ठ 45 /टि0 पर दि. 10.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसकी डायरी संख्या-40/OSD दिनांक -10.03.2017 है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अनुलग्नक-व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन

ह0-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदा0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी/पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 967

पटना, दिनांक- 15/07/17

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

10/3

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत मधुबनी एवं पटना जिला के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस तथा कर्मशाला निर्माण (वित्तीय वर्ष-2016-17) परिशिष्ट-I

(राशि ल

क्र 0 सं 0	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा0/निकासी एवं व्ययन पदा0	नये करघे क्रय करने हेतु					मार्जिन मनी			कर्मशाला निर्माण			कार्यालय व्यय राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषा का नाम
			भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)			भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)			
			सामान्य प्रक्षेत्र	अनु0 जाति प्रक्षेत्र	103 हस्तक रघा उद्योग	789 अनु0 ज0 के लिए विशेष घटक	योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु0 जाति प्रक्षेत्र	3301 सब्सिडी लघु शीर्ष 103 हस्त0 उद्योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु0 जाति प्रक्षेत्र	शीर्ष 2701 लघु कार्य लघु शीर्ष 103 हस्त0 उद्योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	मधुबनी	महाप्रबंधक जि0उ0के0, मधुबनी	200	100	30.00	15.00	45.00	200	100	15.00	66	33	39.60	0.05	99.65	मधुबनी
2.	पटना	महाप्रबंधक जि0उ0के0, पटना	200	100	30.00	15.00	45.00	200	100	15.00	66	33	39.60	0.05	99.65	पटना
3.	पटना	वरीय लेखा पदा0 ह0रे0 निदेशालय		-	-	-	-			-	-	-	-	13.85	13.85	सचिवाल कोषागार, वि भवन पट
कुल राशि			400	200	60.00	30.00	90.00	400	200	30.00	132	66	79.20	13.95	213.15	

कुल राशि-213.15 (दो करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार) रूपये।

103- हथकरघा उद्योग

विषय शीर्ष -	राशि
5201-मशीनें एवं उपस्कर-	60.00
3301- सब्सिडी-	30.00
2701-लघु कार्य-	79.20
1301-कार्यालय व्यय	13.95
	183.15

789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना

विषय शीर्ष -	राशि
5201-मशीनें एवं उपस्कर-	30.00

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

10/3